

फार्म (अ)
 (परिचय दो-१ की कण्डिका 6 देखिये)
 राजस्व आदेष-पत्र (रेहेन्यू ऑर्डर शीट)

तहसीलदार के न्यायालय मे मामला क्रमांक सन् 2011-12
 विषय :- बी०पी०एल० सुची मे नाम जोडने बाबत प्रकरण की श्रेणी : बी 121 ग्राम.....
 बन्दोबस्त क्रमांक पटवारी हल्का क्रमांक
 तहसील कलेक्टर का क्रमांक सन् 2012-13 अनुविभागीय अधिकारी का क्रमांक
 सन् 2011-12 तहसीलदार का क्रमांक सन् 2012-13 नायब तहसीलदार का क्रमांक सन्
 2011 / 12

आदेश क्रमांक कार्यवाही की तारीख और स्थान	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आवेदन पत्र अथवा कार्यवाही	जहा आवश्यक हो पर्ची अथवा वकीलो के आदेषो के पालन करवाकर लिपिक के संक्षिप्त हस्ताक्षर और प्रकरण की तारीख
1	2	3
	<p>1. आवेदक श्री..... पिता..... निवासी जाति प०ह०नं</p> <p>तहसीलद्वारा बी०पी०एल० की सुची वर्ष 2003 मे नाम सम्मिलित किये जाने हेतु दावा प्रस्तुत किया है।</p> <p>2. प्रकरण दर्ज है</p> <p>भारत सरकार के परिचत्र क्रमांक 21022/4/2003 ए०आई०आर डी० दिनांक 23.02.2006 के सदर्भ मे म०प्र० शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वर्ष 2002-03 के सर्वे के तहत बी०पी०एल० सुची के निर्धारण हेतु परिपत्र क्रमांक 3830 दिनांक 14.03.2006 द्वारा संषोधित निर्देष जारी किये गये थे। इस संषोधित भाग के बारे मे प्रथम अपील नायब तहसीलदार/तहसीलदार एस०डी०एम० को प्रस्तुत किये जाने तथा प्रथम अपील से असन्तुष्ट व्यक्ति कलेक्टर को द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने संबंध मे आदेष जारी किये गये है। यह अपिल सर्वेक्षण सूची वर्ष 2002-03 मे सर्वेक्षण मे त्रुटिवष आपात्र एवं तत्समय निरस्त एवं सर्वेक्षण से छुटे हुए पीकडत आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जाती है।</p> <p>ग्राम पटवारी से संबंधित परिवार के आवास पर जाकर दावा फार्म के कॉलम क्रमांक 01 से 13 तक के समस्त बिन्दुओ की सुक्षमता से जाँच कर अंक निर्धारित किये गये है। यह परिवार उक्त परिपत्रानुसार सर्वेक्षण से छुट गया था, इस कारण पूर्व के सर्वेक्षण मे नाम सम्मिलित नही हो पाया है। वर्तमान दिनांक को सर्वे के दौरान उपस्थित पंचों आदि का निर्धारित पंत्र नामा एवं प्रमाण पत्र 15 दिवस मे प्राप्त करने हेतु निर्देषित किया जावे।</p>	

तहसीलदार

प्रकरण पेश हल्का पटवारी तथा सचिव का निर्धारित प्रपत्र मे मुल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त प्रकरण मे संलग्न है। आवेदन को मुल्यांकन मे अंक प्राप्त हुए है।
 / 14 अंक से ज्यादा अंक प्राप्त हुए है। आवेदक की अपील मान्य/अमान्य की गई। मुख्य कर्पालन अधिकारी जनपद पंचायत की जानकारी प्रेषित की जावे।
 आवेदन को सूचित हो। पूर्ण पालन पश्चात प्रकरण नस्ती होकर अभिलेखागार मे भेजा जावे।

प्रति ,

श्रीमान तहसीलदार महोदय,

तह. कार्यालय

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली परिवारों की सर्व सुचि में नाम जोड़ने बाबत्

महोदय,

निवेदन है कि मैं _____

पिता _____ जाति _____

उम्र _____ निवासी ग्राम _____

ग्राम पंचायत ————— मे लगभग —————

वर्षों से निवास कर रहा हूँ। मेरा नाम गरिबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाले परिवारों कि सर्वे सुचि वर्ष 2003 मे सम्मिलित नहीं है।

अतः वर्ष 2003 कि सर्व सूचि मे मेरा नाम दर्ज करने का कष्ट करे।

हस्ताक्षर

पूरा नाम —————

दिनांक / /

प्रपत्र -1

बी.पी.एल. सर्वेक्षण 2013 हेतु सर्वे शोडयूल

(प्रत्येक परिवार के लिये प्रथक्-प्रथक् भरा जायेगा।)

परिवार के मुखिया का नाम : कुल प्राप्तांक

मकान क्रमांक एवं नाम (यदि कोई हो तो) :

ग्राम का नाम : कोड नं. श्रेणी

ग्राम पंचायत का नाम : कोड नं.

विकास खंड का नाम : कोड नं

जिले का नाम : कोड नं.

भाग (क) परिवार की जानकारी

(अ) शिक्षा का स्तर

S : अशिक्षित / पॉचवी से कम पास — 1 पॉचवर पास — 2 आठवी पास — 3

(ब) परिवार की औसत मासिक आय (रूपये) (सर्वाधिक उपयुक्त किसी एक कालम को टिकायें)

250 से कम	250–499	500–1499	1500–2500	2500 से अधिक

(स) धारित भुमि कि हैसियत (सर्वाधिक उपयुक्त किसी कालम को टिक करे)

स्वामी	किरायेदार	स्वामी एवं किरायेदार	इनमे से कोई नहीं

(द) इंदिरा आवास योजनान्तर्गत आवास निर्माण हेतु क्या भूखण्ड उपलब्ध है ?

(सर्वाधिक उपयुक्त किसी एक कालम को टिक करे।)

हॉ	नहीं

(इ) पेयजल सुविधा (सर्वाधिक उपयुक्त किसी एक कालम को टिक करे।)

1.6 कि.मी के भीतर कोई सुविधा नहीं	1–1.59 कि.मी. के भीतर पेयजल सुविधा	0.50–0.99 कि.मी. के भीतर पेयजल सुविधा	आधा कि.मी. से कम दूरी पर उपलब्ध पेयजल सुविधा	पेयजल सुविधा मकान मे ही उपलब्ध

(ई) परिवार का सामाजिक वर्ग (सर्वाधिक उपयुक्त किसी एक कालम को टिक करे।)

अनुसूचित जन जाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य

कुल प्राप्तांक में शामिल नहीं किया जायेगा.

ग्रामीण गरीबों का चिन्होन एवं श्रेणी विभाजन

मद संख्या 1 से 13 में प्रत्येक के लिये सर्वाधिक उपयुक्त किसी एक कालम को टिक \checkmark करें।

संख्या	मद	प्राप्तांक				
		0	1	2	3	4
01	परिवार द्वारा धारिता भूमि	निरंक	असिंचित एक हैक्टेयर से कम भूमि (सिंचित आधा हैक्टेयर से कम भूमि)	असिंचित 1 से 2 हैक्टेयर भूमि (सिंचित आधा से एक हैक्टेयर भूमि)	असिंचित 2 से 5 हैक्टेयर भूमि (सिंचित 1 प्रे 2.5 हैक्टेयर भूमि)	असिंचित 5 हैक्टेयर से अधिक भूमि (सिंचित 2.5 हैक्टेयर से अधिक भूमि)
02	मकान का प्रकार	आवासहीन	कच्चा	अर्धपक्का	पक्का	शहरी मकानों जैसा
03	प्रति व्यक्ति पहनने के कपड़ों की उपलब्धता	दो जोड़ी	दो से चार जोड़ी	चार से छः जोड़ी	छः से दस जोड़ी	दस जोड़ी से अधिक
04	खाध सुरक्षा	वर्ष के अधिकास समय प्रतिदिन एक समय से भी कम भोजन उपलब्ध होना	सामान्यतः वर्ष में प्रतिदिन एक समय लेकिल यहा कदा एक समय से भी कम भोजन उपलब्ध होना	वर्ष भर प्रतिदिन एक समय भोजन उपलब्ध होना	सामान्यतः वर्ष में प्रतिदिन दोनों समय भोजन उपलब्ध होना	वर्ष भर पर्याप्त भोजन उपलब्ध होना
05	स्वच्छता	खुले मे	अनियमित जल आपूर्ति सहित सामूहिक शौचालय	नियमित जल आपूर्ति सहित सामूहिक शौचालय	नियमित जल आपूर्ति एवं स्वीपर सहित स्वच्छ सामूहिक शौचालय	निजि शौचालय
06	उपभोक्ता वस्तुओं का स्वामित्व क्या निम्नांकित धारिता है ? (परिवार के मुखिया से पुछकर कृपया टिक \checkmark करें) टेलीविजन विद्युत पंखा कुकर आदि जैसे रसोई के उपकरण रेडियो	निरंक	कोई एक	कोई दो	कोई तीन	सभी (और भी आईटम धारिता हो तो उनका भी उल्लेख किया जाये) यथा कम्प्यूटर टेलीविजन रफिजरेटर संगीन टी.वी. 2/4 पहिया यांत्रिक वाहन ट्रेक्टर हारवेस्टर महंगा फर्नीचर रसोई के विद्युत उपकरण यथा माईक्रोवेव मिक्सर आदि,

07	परिवार के सर्वाधिक पढ़े—लिखे व्यक्ति का शैक्षित स्तर	अशिक्षित	प्राथमिक	दसवी पास	स्नातक / व्यवसायिक डिप्लोमा	स्नातकोत्तर / व्यवसायिक स्तातक
08	परिवारिक श्रम का स्तर	बंधुआ मजदुर	महिला एवं बाल श्रमिक	केवल वयस्क महिला श्रमिक	केवल वयस्क पुरुष श्रमिक	अन्य
09	जीविकोपार्जन के साधन	आकस्मिक मजदुरी	निर्वाह योग्य खेती	शिल्पी	वैतनिक	अन्य
10	बच्चों का स्तर (5–14 वर्ष)	स्कूल न जाकर काम पर जाना	स्कूल और काम दोनों पर जाना			स्कूल जाना एवं काम पर न जाना
11	देनदारी का प्रकार	अनौपचारित स्त्रोतों से दैनिक उपभोग के लिये	अनौपचारिक स्त्रोतों से उत्पादन हेतु	अनौपचारिक स्त्रोतों से अन्य प्रयोजन हेतु	केवल बैंक आदि जैसी संस्थागत एजेन्सी से उधार लेना	कोई देनदारी नहीं सम्पत्ति धारिता करना
12	परिवार के गाँव से बाहर गमन का कारण	आकस्मिक कार्य	मौसमी रोजगार	जीविकोपार्जन का अन्य साधन	गमन नहीं करते	अन्य प्रयोजन हेतु गमन
13	सहायता की प्राथमिकता	मजदूरी आधारित रोजगार/लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली	स्वरोजगार	प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन	आवास हेतु	एक लाख से अधिक अनुदान/ऋण हेतु अथवा किसी सहायता की आवश्यकता नहीं

अनोपचारिक शिक्षा सहित

टीप : परिवार द्वारा अर्जित कुल प्राप्ताक 0 और 52 के बीच होगे।

प्रति,

पटवारी श्री _____
द्वारा— राजस्व निरीक्षक _____
विषय :— बी०पी०एल० सुची के संबंध मे ।
संदर्भ :— श्री _____ ग्राम _____ —द्वारा प्रस्तुत आवेदन /
सूची के संबंध मे ।

—00—

उपरोक्त विषायान्तर्गत लेख है कि ग्राम _____ के
श्री _____ पिता _____

द्वारा बी०पी०एल० आवेदन / सूची के तहत दावा किया गया है। संलग्न आवेदन / सूची मे अंकित व्यक्तियों
के नाम उक्त आवेदन / सूची मे नहीं होने १ जुड़वाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। समस्त परिवारों से
सम्पर्क कर परिवार के मुखिया से पुछताछ कर सलग्न कर फार्मेट मे वर्तमान की जानकारी अंकित की
जावे। साथ ही वर्ष 2002–2003 से सर्वे हुए फार्मेट की फोटो प्रति की संबंधित से लेने की कार्यवाही की
जावे।

भारत सरकार के परिपत्र क्रमांक 21022/4/2003 ए. आई. आर. डी. दिनांक 23 फरवरी
2006 के संदर्भ मे म०प्र० शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वर्ष 2002–2003 के सर्वे के
तहत बी०पी०एल० सूची के निर्धारित हेतु पपित्र क्रमांक 3830 दिनांक 14.03.2006 द्वारा संषोधन निर्देष
जारी किये गये थे। इस संषोधित भाग के बारे मे प्रथम अपील नायब तहसीलदार / तहसीलदार
एस०डी०एम० को प्रस्तुत किये जाने तथा प्रथम अपील से असन्तुष्ट व्यक्ति कलेक्टर को द्वितीय अपील
प्रस्तुत किये जाने संबंधित आदेष जारी किये गये है यह अपील सर्वेक्षण सूची वर्ष 2002–2003 मे सर्वेक्षण
मे त्रुटिवंश आपात्र एवं तत्समय निरस्त एवं सर्वेक्षण से छुटे हुए पीडित आवेदक द्वारा ही प्रस्तुत की जानी
है। इस अपील के साथ संबंधित व्यक्ति का सर्वेक्षण प्रपत्र अथवा चार्ज गणना अधिकारी का इस आषय
का प्रमाण–पत्र की वह परिवार सर्वेक्षण वर्ष 2002–03 मे छुट गया था का प्रमाण–पत्र प्रत्येक सर्वेक्षण
फार्म पर लगाया जाकर एवं समस्त जानकारी संलग्न कर पेष करेगा।

अतः दावेदार का दावाफार्म संलग्न भेजा जा रहा है, दावेदार के घर जाकर सूक्ष्म जाच कर
पेषी तारीख को निर्धारित प्रमाण–पत्र / पंचनामा अनिवार्यरूप से प्रस्तुत करें ताकि अगामी
कार्यवाही की जा सके।

पृ.क./वा-3/2009/

प्रतिलिपि :-

- (1) अनुविभागीय अधिकारी नेपानगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- (2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- (3) श्री सरपंच / सचिव / आवेदक ग्राम पंचायत की ओर भेजकर लेख है कि सर्वेक्षण को उक्त
आवध्यकता जानकारी उपलब्ध कराया जावे।

तहसीलदार

दिनांक / / 2009

तहसीलदार

कार्यालय पटवारी हल्का नं. तहसील —

क्रमांक / 2009 / / / 2009

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दावाकर्ता श्री / श्रीमति
पिता / पति उम्र वर्ष जाति
निवासी तहसील जिला — (मध्यप्रदेश)
द्वारा बी.पी.एल. मे अपना नाम सम्मिलित करने हेतु तहसीलदार, के न्यायालय मे दिनांक
/ / 2009 को दावा प्रस्तुत किया है।

भारत सरकार के परिपत्र क्रमांक 21022 / 4 / 2003 ए. आई. आर. डी. दिनांक 23 फरवरी 2006 के संदर्भ मे म0प्र0 शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वर्ष 2002–2003 के सर्वे के तहत बी0पी0एल0 सूची के निर्धारित हेतु परिपत्र क्रमांक 3830 दिनांक 14.03.2006 द्वारा संषोधन निर्देष जारी किये गये थे। इस संषोधित भाग के बारे मे प्रथम अपील नायब तहसीलदार / तहसीलदार एस0डी0एम0 को प्रस्तुत किये जाने तथा प्रथम अपील से असन्तुष्ट व्यक्ति कलेक्टर को द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने संबंधित आदेष जारी किये गये है यह अपील सर्वेक्षण सूची वर्ष 2002–2003 मे सर्वेक्षण मे त्रुटिवंश आपात्र एवं तत्समय निरस्त एवं सर्वेक्षण से छुटे हुए पीडित आवेदक द्वारा ही प्रस्तुत की जानी है।

दावेदार के आवास पर गठित दल के द्वारा उसके आवास पर जाकर दावा फार्म के कॉलम 01 से 13 तक के समस्त बिन्दुओ कि सूक्ष्मता से जाच कर अक प्रदाय किये गये। सह दावेदार का परिवार को जाच के दौरान अंक प्राप्त हुये है। परिपत्रानुसार उसका परिवार वर्ष 2002–2003 मे सर्वेक्षण से छुट जाने से सर्वेक्षण सूची मे सम्मिलित नहीं पाया है।

तदनुसार हम नीचे हस्ताक्षर करने वाले तसदीक करते है तथा यह प्रमाण—पत्र मय पंचनामा के प्रस्तुत करते है। सो सही।

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम एवं पद

- | | |
|-------------------------|-------|
| 1 – परिवार का मुखिया | |
| 2 – पटवारी हल्का नं. | |
| 3 – सचिव ग्राम पंचायत | |
| 4 – राजस्व निरीक्षक | |
| 5 – सरपंच, ग्राम पंचायत | |
| 6 – पंच, ग्राम पंचायत | |
| 7 – पंच, ग्राम पंचायत | |
| 8 – पंच, ग्राम पंचायत | |

कार्यालय तहसीलदार जिला

क्रमांक / वाचक / 2006

दिनांक / /

सूचना पत्र

प्रति,

आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा बी.पी.एल. सर्वे सूची में नाम सम्मिलित करने बाबत् प्रस्तुत दावा/अपील की जाच दल से जाच कराई गई जिसमे आपको 14 अंको से अधिक प्राप्त होने/सर्वे सूची 2003 के क्र पर नाम दर्ज होने/माता, पिता, भाई के साथ निवास करने से आपके द्वारा प्रस्तुत दावा/अपील इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक बी-121 वर्ष 2008-2009 राजस्व प्रकरण क्र. बी-121 वर्ष 08-09 मे पारित आदेष दिनांक / / 2006 के अनुसार अस्वीकार की गई है ।

स्थान—.....

तहसीलदार

दिनांक— / / 09

न्यायालय तहसीलदार जिला—.....

क्रमांक / वाचक / 2006

दिनांक / / 09

—सूचना पत्र—

प्रति,

आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा बी.पी.एल. सर्वे सूची में नाम सम्मिलित करने बाबत्-प्रस्तुत दावा/अपील की जाच दल से जाच कराई गई जिसमे आपको 14 अंको से अधिक प्राप्त होने/सर्वे सूची 2003 के क्र. पर नाम दर्ज होने/माता, पिता, भाई के साथ निवास करने से आपके द्वारा प्रस्तुत दावा/अपील इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक बी-121 वर्ष 2008-2009 राजस्व प्रकरण क्र बी-121 वर्ष 08-09 मे पारित आदेष दिनांक / / 2006 के अनुसार अस्वीकार की गई है ।

स्थान—.....

तहसीलदार

दिनांक— / / 09

कार्यालय तहसीलदार

क्रमांक/वाचक/तह./बीपीएल/12

दिनांक

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जनपद पंचायत

.....

विषय :— बी.पी.एल. मे पात्र अपीलार्थियो की सुची भेजने बाबत्।

विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा वर्ष 2002–2003 मे कराये गये बी.पी.एल. सर्वेक्षण के दौरान सर्व सूची मे नाम सम्मिलित न होने से असंतुष्ट होकर

ग्राम के श्री पिता

द्वारा इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की गई। जिसकी विस्तृत जॉच हल्का पटवारी, राजस्व निरीक्षक ग्राम पंचायत सचिव से नियत प्रारूप मे कराई जाकर पंचनामा प्रमाण—पत्र प्राप्त किया गया। जॉच मे जिन अपीलार्थियो को 14 से कम (कुल) अंक प्राप्त हुए है। उन्हे राजस्व प्रकरण क्रमांक बी—121 वर्ष 2011–2012 मे पारित आदेष दिनांक के अनुसार पात्र घोषित किया गया है। अतः इनके नाम सर्व सूची मे जोडना सुनिष्ठित करे।

तहसीलदार

..... जिला

क्रमांक/वाचक/तह./बीपीएल/12 दिनांक

प्रतिलिपि

1. सचिव ग्राम पंचायत की ओर सुचनार्थ एव आवष्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

2. अपीलार्थी श्री पिता ग्राम की
और सुचनार्थ

तहसीलदार

..... जिला



महोदय

नम्र निवेदन है कि

आत्मज श्री निवासी होकर निम्न कारण/कारणो से

3. मुल परिवार का विभाजन होकर नवीन परिवार निर्मित होने के कारण

मैं गरीबी रेखा को पात्रता रखता हूँ। मेरे परिवार का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.	परिवार के सदस्यों के नाम	आयु	मुखिया से संबंध
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा परिवार के सदस्यों का जो विवरण दिया गया है उसमे से किसी भी सदस्य का नाम पृथक से किसी अन्य स्थान की गरीबी रेखा के नीचे की सूची मे दर्ज नहीं है अथवा ग्राम विकास खंड जिला की गरीबी रेखा के नीचे की सूची मे क्रमांक पर दर्ज है। (जो जरूरी नहीं है उसे काट दिया जाए।)

अतः निवेदन है कि गरीबी रेखा के सर्वे सूची मे मेरा तथा मेरे परिवार के लोगो का नाम जुड़वाने का कष्ट करे। नाम जुड़वाने के संबंध मे मैं अपनी आर्थिक कस्थिति की जानकारी आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र मे प्रस्तुत कर रहा है।

आवेदन के हस्ताक्षर/अगुठा निषान

नाम

पता

मेरे द्वारा दि गई उपरोक्त जानकारी सत्य है।

आवेदन के हस्ताक्षर/अगुठा निषान

नाम

पता

कार्यालय ग्राम पंचायत तहसील
दिनांक / / 2009

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 200–03 मे मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों का सर्वेक्षण कराया गया था इस सर्वेक्षण के दौरा श्री
पिता/पति निवासी
तत्समय ग्राम मे ही निवासरत् थे, सर्वे मे इन्हे अपात्र घोषित किया गया है/नाम सम्मिलित नहीं किया गया है।

सर्वे सूची मे इनका सरल क्र है। मकान नं. है।

यह प्रमाण पत्र इन्हे न्यायालय तहसीलदार मे अपील करने हेतु जारी किया जाता है।

स्थान :—

सचिव

दिनांक :—

ग्राम पंचायत

श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील जिला म.प्र.

तिथी :—

विषय :— B.P.L सूची मे नाम यथावत रखने हेतु लिखीत आवेदन पत्र

1. आवेदक पिता / पति आयू वर्ष जाति
निवासी ग्राम तह जिला म.प्र.
..... आवेदक

आवेदन निवेदन करता है कि :—

1. यह कि मै आवेदक उक्त ग्राम मे परिवार सहिता निवास करता हूँ। मेरा नाम B.P.L सर्वे सूची मे क्रमांक पर अंकित होकर वर्ष 2007 कि सर्वे सूची मे सम्मिलित है।
2. यह कि मुझे एक संमंस प्राप्त हुआ है जिसमे मेरा नाम B.P.L सर्वे सूची मे से विलोपित दिनांक समय हाजि होने का आदेश दिया गया है।
3. यह कि यह कि मै मेहनत मजदर कर मेरा व मेरे परिवार का पालन पोषण कर कच्चे मकान मे निवास करता हूँ। तथा मेरे पास अन्य किसी भी प्रकार कि कोई सम्पत्ति नही है। श्रीमान मे एक साधारण व गरीब परिवार का सदस्य होकर B.P.L कि पात्रता रखता हूँ।
4. यह कि मेरा नाम B.P.L सूची मे नाम यथावत रखने के संबंध मे मेरे आवेदन पत्र के समर्थन मे एक शपथ पत्र राषन कार्ड कि फोटो कॉपी परिचय पत्र आदी प्रस्तुत किये है
अतः आवेदक श्रीमान जी से नम्र निवेदन करता है कि मेरा नाम B.P.L सूची मे नाम यथावत रखने कि कृपा करे।

आवेदक

शपथ पत्र

प्रस्तुत करने समक्ष – श्री मान तहसीलदार जिला म.प्र.

मैं शपथकर्ता पिता जाति आयु वर्ष
निवासी तह जिला म.प्र. का होकर शपथपुर्वक कथन करता हूँ
कि –

1. यह कि मे उपरोक्त पते का निवासी हूँ।
2. यह कि मे एक मजदुर व्यक्ति हूँ। तथा कच्चे मकान मे अपने परिवार सहित निवास करता हूँ मेरे पास किसी भी प्रकार कि कोई सम्पत्ति नही है।
3. यह कि मेरा नाम ए.पी.एल. यूची मे यथावत रखे जाने के संबंध मे यह शपथ पत्र श्री मान जी कि सेवा मे प्रस्तुत कर रहा हूँ।
4. यह कि शपथ पत्र की समस्त कडिकाये मेरे निजी ज्ञान के अनुसार सत्य एवं सही है। कोई भी कथन छिपाया या गलत नही लिखाया गया और अगर गलत पाया जाता है। तो उसके लिये मै स्वयं जवाबदार व जिम्मेदार रहुगौ

स्थान :—

दिनांक :— 05 / 05 / 2022

शपथकर्ता

!! सत्यापन !!

मैं शपथकर्ता आज दिनांक स्थान खकनार को इस शपथ पत्र पर अपने स्वयं के हस्ताक्षर/अगुठा निषानी कर सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र मे लिखित कथन सत्य व सही है।

स्थान :—

दिनांक :—

शपथकर्ता